प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण क्र. 962/2023

1- **Xyz**

---- आवेदक

विरुद्ध

1- छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा पुलिस थाना सरिया, रायगढ़, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक के लिएः श्री अमित बक्सी, अधिवक्ता

उत्तरवादी /राज्य के लिएः श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतिम साहू

बोर्ड पर आदेश

02/05/2024

1. यह पुनरीक्षण विधि से संघर्षरत किशोर द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पोक्सो अधिनियम), रायगढ़ द्वारा दाण्डिक अपील संख्या

12/2023 में पारित दिनांक 02.03.2023 के आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत अपीलीय न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया है और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2016 (जिसे आगे "2015 का अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 15 के तहत पारित किशोर न्याय बोर्ड, रायगढ़ (संक्षेप में "बोर्ड") के आदेश की पुष्टि किया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बोर्ड ने अधिनियम 2015 की धारा 15 के तहत प्रावधानों को लागू करते हुए ऐसे अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता और जिन परिस्थितियों में आवेदक ने कथित रूप से अपराध किया है, उनका प्रारंभिक मूल्यांकन किया। यह तर्क दिया गया है कि न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि जो अभिलेख भेजी गई थी वह अधूरी है क्योंकि अधिनियम 2015 की धारा 15 के तहत गठित पैनल में चार सदस्य थे, यद्यपि, जांच और मूल्यांकन और मत केवल तीन सदस्यों द्वारा किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवश्यकता के अनुसार, यदि बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रकरण बाल न्यायालय को भेजा जाए तो उसे कारण भी बताने होंगे, लेकिन बोर्ड द्वारा कोई विशेष कारण नहीं बताए गए हैं। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील में उठाए गए आधारों पर उचित तरीके से विचार नहीं किया है और 2015 के अधिनियम की धारा 15 के तहत विशिष्ट प्रावधानों और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (जिसे आगे "2016 के नियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के नियम 10-अ के तहत प्रावधानों पर ध्यान दिए बिना मनमाने ढंग से अपील को खारिज कर दिया है, इसलिए अपीलीय न्यायालय और बोर्ड द्वारा पारित किए गए विवादित आदेशों को अपास्त किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. विद्वान राज्य अधिवक्ता आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के दलील का विरोध किया और तर्क दिए हैं कि निर्विवाद रूप से आवेदक अपने माता-पिता (माता और पिता) के साथ-साथ छह अन्य सह-आरोपियों की हत्या के जघन्य अपराध में शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक की आयु 16 वर्ष से अधिक है, अर्थात 17 वर्ष और 7 महीने, अतः बोर्ड ने अधिनियम 2015 की धारा 15 के प्रावधानों को सही ढंग से लागू किया है और आवेदक की मानसिक और शारीरिक क्षमता का प्रारंभिक मूल्यांकन किया है, साथ ही अपराध के परिणामों को समझने की उसकी क्षमता का भी मूल्यांकन किया है, जैसा कि नियम 2016 के नियम 10-अ के तहत प्रदान किए गए विशेषज्ञों द्वारा आवेदक की जांच के लिए भेजा गया है। बोर्ड ने रिपोर्ट के आधार पर 2015 के अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन का आदेश पारित किया है और आवेदक के प्रकरण को बाल न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजने के कारण बताए हैं, जिसमें कोई कमी या अवैधता नहीं है। अतः, इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मैंने पक्षकरो के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा पुनरीक्षण के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अवलोकन किया है।

5. आवेदक ने परिक्षण पूर्ण होने के पश्चात पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र की प्रति अभिलेख में प्रस्तुत किया है। इसके अवलोकन से पता चलता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सुकरू राम यादव, पिता पुनाराम यादव और मानवती यादव, पति सुकरू राम यादव के शव पड़े हुए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद अपराध पंजीबद्ध किया। जांच के दौरान आवेदक और अन्य सह-आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शव आवेदक के पिता और माता के थे और पोस्टमार्टम अभिलेख के अनुसार, दोनों की मौत गला घोंटने से हुई थी और

यह हत्या की प्रकृति का था। आवेदक की आयु को देखते हुए उसे बोर्ड के समक्ष पेश किया गया और बोर्ड ने आरोप-पत्र प्रस्तुत करने और अपराध को जघन्य प्रकृति का मानते हुए अधिनियम 2015 की धारा 15 के तहत किशोर का प्रारंभिक मूल्यांकन करने की कार्यवाही शुरू किया है।

6. पुनरीक्षण के साथ ही आवेदक ने डॉ. राजेश अजगल्ले, एमडी (मनोरोग), श्री किरण कश्यप, सामाजिक कार्यकर्ता और श्री राम कुमारी, परामर्शदाता सहित विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख भी रिकॉर्ड पर रखी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आवेदक की जांच के बाद पाया गया कि वह कथित अपराध करने में सक्षम है और अपराध के परिणाम को भी समझता है। अभिलेख प्राप्त करने के बाद, बोर्ड ने 2015 के अधिनियम की धारा 18 (3) के प्रावधानों के तहत बच्चों के न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई के लिए दिनांक 05.01.2023 को आदेश पारित किया है। बोर्ड ने अधिनियम 2015 की धारा 15 के तहत आदेश पारित करते समय पांच मुद्दे तैयार किए थे और सकारात्मक उत्तर दिया था। आयु के संबंध में, बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि अपराध करने की तिथि पर आवेदक की आयु लगभग 17 वर्ष और 7 महीने थी। कथित अपराध की प्रकृति अधिनियम 2015 की धारा 2 (33) के तहत परिभाषित जघन्य है और विशेषज्ञों की अभिलेख के अनुसार आवेदक ऐसा अपराध करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है और अपराध के परिणामों को समझने में सक्षम है।

7. आगे बढ़ने से पहले मैं त्वरित संदर्भ के लिए अधिनियम 2015 की धारा 15 के प्रावधानों तथा नियम 2016 के नियम 10-अ का उद्धरण देना उचित समझता हूँ, जो निम्नानुसार है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"धारा 15. बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्रारंभिक मूल्यांकन। (1) किसी ऐसे जघन्य अपराध के प्रकरण में, जो किसी बालक द्वारा किया गया है, जो 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या उससे अधिक है, बोर्ड ऐसे अपराध करने की उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता और जिन परिस्थितियों में उसने कथित रूप से अपराध किया है, उनके संबंध में प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा और धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित कर सकता है:

परंतु जहा ऐसे मूल्यांकन के लिए बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक मूल्यांकन कोई परीक्षण नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ऐसे बच्चे की अपराध करने की क्षमता का आकलन करना और कथित अपराध के परिणामों को समझना है।

(2) जहां बोर्ड प्रारंभिक मूल्यांकन पर संतुष्ट है कि प्रकरण का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए, तो बोर्ड, जहां तक संभव हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत समन प्रकरण में सुनवाई के लिए प्रक्रिया का पालन करेगा:

परंतु जहां प्रकरण को निपटाने के लिए बोर्ड का आदेश धारा 101 की उपधारा (2) के अंतर्गत {अपील योग्य} होगा।

परंतु जहां इस धारा के अंतर्गत मूल्यांकन धारा 14 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

नियम 10-अ. - बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्रारंभिक मूल्यांकन। - (1) बोर्ड प्रथमतः यह निर्धारित करेगा कि बालक 16 वर्ष या उससे अधिक आयु का है; यदि नहीं, तो वह अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(2).जघन्य अपराध के प्रकरण में प्रारंभिक मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, बोर्ड मनोवैज्ञानिकों या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में बच्चों के साथ काम करने का अनुभव हो। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे विशेषज्ञों का एक पैनल उपलब्ध कराया जा सकता है, जिनकी सहायता बोर्ड द्वारा लिया जा सकता है या स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) प्रारंभिक मूल्यांकन करते वक्त, बच्चे को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाए।

(4) जहां बोर्ड अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद यह आदेश पारित करता है कि उक्त बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता है, तो वह इसके लिए कारण बताएगा और आदेश की प्रति बच्चे को तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी।

8. 2015 के अधिनियम का उद्देश्य विधि का उल्लंघन करने वाले कथित और पाए गए बच्चों और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यापक प्रावधान करना है, जिसमें बाल अधिकार सम्मेलन में निर्धारित मानकों और किशोर न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों को ध्यान में रखा जाएगा।

9. अधिनियम 2015 की धारा 2 (12) के अनुसार "बालक" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरा नहीं किया है। धारा 2 (13) के अनुसार "विधि का

उल्लंघन करने वाला बालक" का अर्थ है वह बालक जिस पर कोई अपराध करने का आरोप है या ऐसा पाया गया है तथा जिसने ऐसे अपराध किए जाने की तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरा नहीं की है। धारा 2 (9) के अनुसार "बालक के सर्वोत्तम हित" का अर्थ है बालक के संबंध में लिए गए किसी निर्णय का आधार, जिससे उसके बुनियादी अधिकारों और आवश्यकताओं, पहचान, सामाजिक कल्याण तथा शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। धारा 2 (33) के अनुसार "जघन्य अपराध" में वे अपराध शामिल हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य वर्तमान विधि के अंतर्गत न्यूनतम सजा 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस प्रकरण में, आवेदक विधि का उल्लंघन करने वाला एक बालक है जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 120-बी, 34 के तहत अपराध किया है, जो 2015 के अधिनियम की धारा 2 (33) के तहत परिभाषित जघन्य अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आता है। जो अपराध किया गया है वह एक जघन्य अपराध है। उक्त कारण से, बोर्ड ने 2015 के अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रावधानों को लागू करते हुए किशोर का प्रारंभिक मूल्यांकन किया है, जो 16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम था।

11. विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के प्रारंभिक आकलन के उद्देश्य से, बोर्ड ने 2016 के नियमों के नियम 10 अ को लागू करते हुए किशोर को 2015 के अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान के अनुसार विशेषज्ञों की समिति को भेजा है। किशोर की जांच तीन सदस्यों की समिति द्वारा की गई थी जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक परामर्शदाता और मनोवैज्ञानिक शामिल थे। किशोर की जांच करने वाली समिति की अभिलेख अनुलग्नक अ-4 के रूप में रिकॉर्ड में रखी गई है।

समिति द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें केवल यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक किशोर के विरूद्ध क्या आरोप है और इसमें केवल यह उल्लेख किया गया है कि मनोवैज्ञानिक परामर्श और अवलोकन पर यह पाया गया कि किशोर मानसिक और शारीरिक रूप से अपराध करने के परिणामों को समझने में सक्षम था। इस बात का कोई उल्लेख या विस्तृत चर्चा नहीं है कि किशोर के मूल्यांकन के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं और मूल्यांकन के विभिन्न चरणों/कारकों का आधार या परिणाम क्या है। विद्वान बोर्ड ने केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर अवलंब करते हुए निष्कर्ष निकाला कि किशोर पर अधिनियम 2015 की धारा 18 (3) के तहत एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **(2022) 10 एससीआर 595** में प्रकाशित **बरुन चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू एवं अन्य** के प्रकरण में विधि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के प्रारंभिक मूल्यांकन के संबंध में मुद्दे पर विचार करते हुए इस प्रकार टिप्पणी किया :-

> **"**64. धारा 15 और नियम 10अ में यह प्रावधान है कि बोर्ड मनोवैज्ञानिकों, मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में बच्चों के साथ काम करने का अनुभव हो। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, शब्द 'हो सकता है' को केवल 'हो सकता है' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, यानी बोर्ड अपने विवेक से ऐसे विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है या नहीं भी ले सकता है, जबकि प्रतिवादी की ओर से यह दृढ़ता से तर्क दिया गया है कि शब्द 'हो सकता है' को 'करेगा' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और बोर्ड

के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन का आदेश पारित करने से पहले ऐसे विशेषज्ञों से राय या सहायता लेना अनिवार्य होना चाहिए। इस पहलू पर बाद में विचार किया जाएगा।

65. एक बच्चे को वयस्क मानते समय उसकी शारीरिक परिपक्वता, संज्ञानात्मक क्षमताओं, सामाजिक और भावनात्मक योग्यताओं को देखना ज़रूरी है। यहाँ यह उल्लेख करना ज़रूरी है कि न्यूरोबायोलॉजिकल दृष्टिकोण से, संतुष्टि में देरी करने की क्षमता, निर्णय लेने, जोखिम उठाने, आवेगशीलता, निर्णय लेने आदि जैसे संज्ञानात्मक, व्यवहार संबंधी गुणों का विकास 20 के दशक की शुरुआत तक जारी रहता है। अतः, यह और भी महत्वपूर्ण है कि एक बच्चे और एक वयस्क के बीच ऐसी विशेषताओं को अलग करने के लिए ऐसा मूल्यांकन किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

66. संज्ञानात्मक परिपक्वता वंशानुगत कारकों पर अत्यधिक निर्भर है। भावनात्मक विकास संज्ञानात्मक परिपक्वता को प्रभावित करने की कम संभावना है। यद्यपि, अगर भावनाएँ बहुत तीव्र हैं और बच्चा भावनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में असमर्थ है, तो बौद्धिक अंतर्दृष्टि/ज्ञान पीछे छूट सकता है।

67. हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से सहमत हैं कि मनोवैज्ञानिक द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद आगे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए था और संस्थान का नाम भी सुझाया गया था। बोर्ड और बाल न्यायालय का स्पष्ट रूप से यह विचार था कि मानसिक क्षमता और अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता एक ही है, यानी अगर बच्चे में अपराध करने की मानसिक क्षमता है, तो उसके पास अपराध के

परिणामों को समझने की क्षमता भी स्वतः ही होगी। हमारी राय में, यह उनके द्वारा की गई एक गंभीर गलती है।

68. धारा 15 में प्रयुक्त भाषा "अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता" है। प्रयुक्त अभिव्यक्ति बहुलता में है, अर्थात अपराध के "परिणाम" और अतः, यह केवल अपराध के तत्काल परिणाम तक ही सीमित नहीं होगा या यह कि अपराध की घटना का केवल पीड़ित पर ही परिणाम होगा, बल्कि यह उन परिणामों को भी अपने दायरे में लेगा जो न केवल हमले के परिणामस्वरूप पीड़ित पर पड़ सकते हैं, परंतु पीड़ित के परिवार, बच्चे, उसके परिवार पर भी पड़ सकते हैं, और वह भी केवल तत्काल परिणाम ही नहीं बल्कि भविष्य में दूरगामी परिणाम भी। परिणाम भौतिक/भौतिक रूप में हो सकते हैं, लेकिन वे बच्चे के मन और मनोविज्ञान को भी हमेशा के लिए प्रभावित कर सकते हैं। अपराध के परिणाम अनेक और बहुआयामी हो सकते हैं, जिन्हें केवल एक ढांचे से नहीं जोड़ा जा सकता; और, इस उद्देश्य के लिए, प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में समग्र तस्वीर और भविष्य के परिणामों का बोर्ड द्वारा सचेत रूप से विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

69. पीड़ित के लिए परिणाम उसकी मृत्यु, या स्थायी शारीरिक विकलांगता, या ऐसी चोट हो सकती है जिसकी मरम्मत या भरपाई की जा सकती है; पीड़ित के मन पर अपराध का प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है और उसके जीवन भर जारी रह सकता है; पीड़ित के परिवार और दोस्तों पर मानसिक और वित्तीय दोनों तरह का प्रभाव; बच्चे के कारावास में जाने का परिणाम; बच्चे पर मानसिक प्रभाव, यह जीवन

भर के लिए पश्चाताप या पछतावा हो सकता है, बच्चे और उसके परिवार के सदस्यों पर सामाजिक कलंक; मुकदमेबाजी के परिणाम और ऐसी कई अन्य चीजें हैं जिन्हें समझाना मुश्किल होगा।

70. **X X X X X X**

71. बच्चे अधिक तात्कालिक संतुष्टि की ओर अग्रसर हो सकते हैं और अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों को गहराई से समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। वे तर्क के बजाय भावनाओं से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं। शोध से पता चलता है कि युवा लोग खुद के लिए जोखिम जानते हैं। इस ज्ञान के बावजूद, किशोर वयस्कों की तुलना में जोखिम भरे व्यवहार में संलग्न होते हैं (जैसे कि नशीली दवाओं और शराब का उपयोग, असुरक्षित यौन गतिविधि, खतरनाक ड्राइविंग और/या अपराधी व्यवहार)।जबकि वे जोखिमों पर संज्ञानात्मक रूप से विचार करते हैं (किसी विशेष कार्य के संभावित जोखिमों और पुरस्कारों का मूल्यांकन करके), उनके निर्णय/कार्य सामाजिक (जैसे साथियों के प्रभाव) और/या भावनात्मक (जैसे आवेगी) प्रवृत्तियों से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा, अनुभव की कमी और बच्चे की अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों को गहराई से समझने की सीमित क्षमता आवेगी/लापरवाह निर्णय लेने का कारण बन सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

72. अंतिम गणना पर आते हैं, अर्थात्, अपराध के कथित तौर पर किए जाने वाले हालात के बारे में आकलन फिर से एक विशेषता है जिसके आकलन से पहले कई कारकों पर विचार किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के अपराध करने के कई कारण हो सकते हैं। दुश्मनी हो सकती

है, गरीबी हो सकती है, लालच हो सकता है, मन में विकृतियाँ हो सकती हैं और कई अन्य। इसमें जबरदस्ती हो सकती है। किसी की जान और संपत्ति को खतरा हो सकता है। भौतिक और शारीरिक लाभ के प्रकरण में प्रलोभन हो सकता है। तनाव या अवसाद के कारण भी अपराध किया जा सकता है। यह किसी की संगति के कारण भी हो सकता है। कोई अपने परिवार और दोस्तों की मदद करने के लिए अपराध कर सकता है। ये सभी और कई अन्य परिस्थितियाँ अपराध करने की ओर ले जाने वाली परिस्थितियाँ कहा जा सकता हैं।"

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त प्रकरण में प्रारंभिक मूल्यांकन पर बहस, विश्लेषण और शोध के साथ-साथ 2015 के अधिनियम के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उड़ीसा के अध्ययन को भी ध्यान में रखते हुए बाल एवं किशोर मनोचिकित्सा विभाग, निमहंस, बेंगलुरु से विधि के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन अभिलेख पर मार्गदर्शन टिप्पणियाँ भी निकाला था, जो निम्नानुसार है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"प्रारंभिक मूल्यांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणियाँ, विधिक से संघर्षरत बच्चों के लिए अभिलेख बाल एवं किशोर मनोचिकित्सा विभाग, निमहंस, बेंगलुरु

प्रारंभिक मूल्यांकन विस्तृत मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन (जो पहले किया जाता है) से जानकारी का उपयोग करता है और उस जानकारी को नीचे उल्लिखित रूप में प्रस्तुत करता है।

अ. मानसिक और शारीरिक क्षमता

कथित अपराध करने के लिए

बच्चे की सामाजिक निर्णय लेने और निर्णय लेने की क्षमता निम्न कारणों से प्रभावित होती है:

(i) जीवन कौशल की कमी (भावनात्मक असंतुलन/ साथियों के दबाव से निपटने में कठिनाई/ दृढ़ता और बातचीत कौशल/ समस्या समाधान/ संघर्ष समाधान/ निर्णय लेने की क्षमता)।

(ii) परिवार द्वारा उपेक्षा/ खराब पर्यवेक्षण/ खराब पारिवारिक रोल मॉडल

(iii) दुर्व्यवहार और आघात का अनुभव

(iv) मादक द्रव्यों के सेवन की समस्याएँ

(v) बौद्धिक अक्षमता

(vi) मानसिक स्वास्थ्य विकार/ विकासात्मक अक्षमता

(vii) अब तक प्रदान किए गए उपचार/ हस्तक्षेप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मार्गदर्शन टिप्पणियाँ

इस खंड के लिए, प्रारंभिक मूल्यांकन प्रपत्र भरने वाले पेशेवर को केवल प्रत्येक वस्तु के सामने यह चिन्ह लगाना होता है ('हां' को इंगित करने के लिए एक टिक मार्क और 'नहीं' को इंगित करने के लिए एक एक्स मार्क) कि क्या बच्चा इस विशेष क्षेत्र में समझौता किया गया है या नहीं। यह जानकारी विस्तृत मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रारूप के प्रासंगिक खंडों से लिया गया है, जिसमें इस बारे में जानकारी है: बच्चे की उचित सामाजिक निर्णय लेने की क्षमता (जो क्रियाओं और व्यवहारों में तब्दील हो जाती है) बच्चे की जीवन

परिस्थितियों और मानसिक स्वास्थ्य या विकासात्मक समस्याओं से कैसे प्रभावित हुई है।

जीवन कौशल घाटे पर मद (**i**) के लिए, धारा 6, 'जीवन कौशल घाटे और बच्चे के अन्य अवलोकन' और उप-धारा 6.1 'जीवन कौशल घाटे' पर देखें।

मद (**ii**) के लिए, धारा 2, उप-धारा 2.1 'पहचाने गए पारिवारिक मुद्दे' पर देखें। दुर्व्यवहार और आघात के अनुभवों पर मद (**iii**) के लिए, धारा 3, 'आघात अनुभव: शारीरिक, यौन और भावनात्मक दुर्व्यवहार अनुभव' देखें।

मादक द्रव्यों के सेवन की समस्याओं और मानसिक स्वास्थ्य विकारों/विकासात्मक विकलांगता पर मद (**iv**) और (**vi**) के लिए, धारा 5, 'मानसिक स्वास्थ्य चिंताएँ' देखें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बौद्धिक अक्षमता पर मद (**v**) के लिए, आप मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रोफ़ॉर्मा को प्रशासित करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चे के साथ अपनी बातचीत के आधार पर अपने निर्णय पर अवलंब कर सकते हैं - यदि बच्चा अधिकांश प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ था या उसने उम्र के अनुसार उचित तरीके से उत्तर दिया (जैसे एक छोटा बच्चा करता है, पूछे गए या चर्चा की गई कई चीज़ों के बारे में कम समझ प्रदर्शित करता है), तो आपको संदेह हो सकता है कि उसे बौद्धिक अक्षमता है। (इसके बाद, मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थित मनोवैज्ञानिकों द्वारा आयोजित प्रासंगिक **IQ** परीक्षण के माध्यम से इसकी पुष्टि करना उपयोगी और आवश्यक होगा)।

मद (**vii**) के लिए, आपने मूल्यांकन के दौरान बच्चे से पूछा होगा कि क्या उसे किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या/पारिवारिक समस्या या जीवन कौशल की कमी के लिए कोई पेशेवर सहायता या उपचार मिला है। (आमतौर पर, अवलोकन गृह

में बच्चों को उनकी समस्याओं के लिए कभी कोई उपचार या हस्तक्षेप नहीं मिला है)।

वास्तव में, गंभीर शारीरिक विकलांगता (जिस प्रकार की विकलांगता चलने-फिरने के कौशल को गंभीर रूप से प्रभावित करती है) या बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति को छोड़कर, हर किसी में अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता होती है। अतः, यह पूछने पर कि क्या किसी बच्चे में अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है, सरल शब्दों में, अधिकांश मामलों में इसका उत्तर 'हां' होगा। और सिर्फ इसलिए कि किसी के पास अपराध करने की शारीरिक और मानसिक क्षमता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपराध करेंगे या उन्होंने ऐसा किया है। अतः, जेजे अधिनियम द्वारा प्रस्तुत इस प्रश्न द्वारा प्राप्त द्विभाजक प्रतिक्रिया विधि के साथ संघर्ष में आए बच्चे के संबंध में निर्णय लेने में बहुत कम उपयोगी है। इस प्रकार, शारीरिक-मानसिक क्षमता प्रश्न के लिए एक सरल द्विभाजक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के उत्तर में, हमने एक अधिक विस्तृत, वर्णनात्मक और सूक्ष्म व्याख्या को अपनाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हमने जो प्रारंभिक मूल्यांकन अभिलेख तैयार किया है उसके अनुसार, अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता बच्चे की सामाजिक निर्णय लेने की क्षमता है, जो बच्चे की कुछ सीमाओं पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, बच्चे की सामाजिक निर्णय लेने की क्षमता जीवन कौशल की कमी, परिवार द्वारा उपेक्षा/खराब पर्यवेक्षण/खराब पारिवारिक रोल मॉडल, दुर्व्यवहार और आघात के अनुभव, मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या, बौद्धिक अक्षमता और/या मानसिक स्वास्थ्य विकार/विकासात्मक अक्षमता के कारण कम हो जाती है। इस तरह के मुद्दे (यदि अनुपचारित) बच्चों के विश्वदृष्टिकोण और उनके भौतिक और

सामाजिक वातावरण के साथ उनकी अंतःक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिससे उन्हें असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का खतरा होता है।"

14. प्रारंभिक मूल्यांकन के समय विचार किए जाने वाला महत्वपूर्ण कारक वे परिस्थितियां हैं, जिनमें विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर ने कथित रूप से अपराध किया है और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उड़ीसा के अध्ययन के अनुसार तथा उपर्युक्त निर्णय में उद्धृत मार्गदर्शक कारक, तत्पर संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत हैं:-

ब. कथित अपराध की परिस्थितियाँ

(i) पारिवारिक इतिहास और रिश्ते (बच्चे की रहने की व्यवस्था, माता-पिता के रिश्ते, बच्चे का माता-पिता से भावनात्मक रिश्ता और लगाव, परिवार में बीमारी और शराब की लत, घरेलू हिंसा और वैवाहिक कलह यदि कोई हो)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) स्कूल और शिक्षा (बच्चे की स्कूल में उपस्थिति, अंतिम कक्षा में उपस्थिति, बच्चे के स्कूल न जाने के कारण - चाहे वह वित्तीय मुद्दों या प्रेरणा की कमी, स्कूल से इनकार, शारीरिक दंड के कारण हो)।

(iii) कार्य अनुभव/बाल श्रम (बच्चे को काम क्यों करना पड़ा/बच्चे को काम की जगह कैसे मिली, वह कहां काम कर रहा था/काम के घंटे और उसे कितना पारिश्रमिक मिला, क्या नियोक्ता द्वारा कोई शारीरिक/भावनात्मक दुर्व्यवहार किया गया था और कार्यस्थल पर बच्चे पर मादक द्रव्यों के सेवन आदि के नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी)।

(iv) साथियों के साथ संबंध (पदार्थ के उपयोग/नियम तोड़ने/अनुचित यौन व्यवहार/स्कूल में उपस्थिति के संदर्भ में साथियों का प्रतिकूल प्रभाव)

(**v**) आघात और दुर्व्यवहार के अनुभव (शारीरिक, यौन और भावनात्मक दुर्व्यवहार के अनुभव)

(**vi**) मानसिक स्वास्थ्य विकार और विकासात्मक विकलांगताएँ:

(मानसिक स्वास्थ्य विकार और विकासात्मक विकलांगताएँ जो बच्चे को हो सकती हैं)।

मार्गदर्शन टिप्पणियाँ

इस खंड के लिए उपरोक्त सभी जानकारी को विस्तृत मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के अनुसार ही दस्तावेजित किया जाना है, विस्तृत मूल्यांकन से प्रासंगिक खंडों का उपयोग करते हुए, ताकि उन कारकों और परिस्थितियों को प्रस्तुत किया जा सके जिनके कारण बच्चा अपराध करने के लिए संवेदनशील हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पहले चार शीर्षों के लिए सूचना मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रारूप के धारा 2, सामाजिक इतिहास से ली जानी चाहिए - जिसमें परिवार, स्कूल, संस्थान और साथियों के मुद्दों पर विवरण शामिल हैं; आघात पर पांचवें मद के लिए सूचना मनोसामाजिक मूल्यांकन प्रपत्र के धारा 3, आघात अनुभव: शारीरिक, यौन और भावनात्मक दुर्व्यवहार अनुभव से ली जानी चाहिए; मानसिक स्वास्थ्य विकारों पर छठे मद के लिए, मनोसामाजिक मूल्यांकन प्रपत्र से धारा 5, 'मानसिक स्वास्थ्य चिंताएँ' (पदार्थों के दुरुपयोग सहित) का उपयोग किया जाना चाहिए।

यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि 'अपराध की परिस्थितियाँ' समीपवर्ती कारकों को संदर्भित नहीं करती हैं, अर्थात अपराध की घटना होने से ठीक पहले क्या हुआ।

ऐसा इसलिए है क्योंकि समीपवर्ती कारकों का एक इतिहास होता है जिसे पहचानना महत्वपूर्ण है - ऐसे कई कारक और जीवन की घटनाएँ हैं जो अपराध से ठीक पहले लिए गए निर्णयों और कार्रवाइयों के साथ-साथ अपराध को भी जन्म देती हैं। इसलिए, 'परिस्थितियों' की व्याख्या जीवन की परिस्थितियों के रूप में की जाती है और अपराधों की कमज़ोरियों और मार्गों को समझने के लिए एक अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसमें बच्चे के जन्म से लेकर (या माँ के गर्भावस्था के अनुभवों से शुरू होकर) वर्तमान तिथि तक की घटनाएँ और परिस्थितियाँ शामिल हैं। यह बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य में इतिहास लेने का सार्वभौमिक दृष्टिकोण है, ताकि बच्चों की भावनाओं और व्यवहारों को उनके संदर्भों और अनुभवों के आधार पर समझा जा सके, जैसा कि वे कई वर्षों में सामने आए हैं (और इसलिए यह वास्तव में विधि के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों के लिए विशिष्ट नहीं है)।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. विशेषज्ञों द्वारा बोर्ड को सौंपी गई अभिलेख में उपर्युक्त पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है, जो 2015 के अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रयुक्त भाषा के मद्देनजर प्रासंगिक हैं जैसे पारिवारिक इतिहास और संबंध, स्कूल और शिक्षा, अपराध के समय किशोर किस काम में लगा हुआ था, साथियों के साथ संबंध, क्या उसे मानसिक आघात और दुर्व्यवहार (शारीरिक, यौन और भावनात्मक दुर्व्यवहार का अनुभव), मानसिक स्वास्थ्य विकार/विकासात्मक विकलांगता है।

16. वर्ष 2015 का अधिनियम "बच्चे के सर्वोत्तम हित" के प्रशंसनीय उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, इसलिए बच्चे का प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय प्रत्येक प्रावधान और प्रयुक्त शब्दों को उसका पूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि वर्ष 2015 के अधिनियम का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। नियम 10 अ (3) में यह

परिकल्पना की गई है कि प्रारंभिक मूल्यांकन के समय बच्चे को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाए, अतः किशोर की समझ का आकलन करते समय, कथित रूप से किए गए अपराधों के परिणामों का आकलन करते समय मूल्यांकन समिति या बोर्ड की मानसिकता यह होनी चाहिए कि किशोर निर्दोष है।

17. बोर्ड द्वारा दिनांक 05.01.2023 को पारित आदेश से पता चलता है कि बोर्ड ने विशेषज्ञों की अभिलेख पर विचार किया और कार्यवाही के दौरान किशोर से कुछ प्रश्न पूछे और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किशोर पर 2015 के अधिनियम की धारा 18 (3) के प्रावधानों के तहत एक वयस्क के रूप में प्रकरण चलाया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. बोर्ड द्वारा अवलंब किए गए विशेषज्ञों की अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विशेषज्ञों ने किशोर का मूल्यांकन नहीं किया है जैसा कि 2015 के अधिनियम की धारा 15 के तहत अनिवार्य है। किए गए मूल्यांकन की कोई विस्तृत अभिलेख नहीं है, मूल्यांकन करने, अपनाई गई प्रक्रिया, मूल्यांकन किए गए कारकों, मूल्यांकन के तरीके, मूल्यांकन के चरणों के आधार पर बच्चे के मूल्यांकन के बारे में कोई दस्तावेज अभिलेख के साथ संलग्न नहीं है और इसके अलावा उन परिस्थितियों की भी कोई चर्चा नहीं है जिनमें किशोर ने कथित रूप से अपराध किया।

19. अधिनियम 2015 की धारा 15 के तहत अनिवार्य रूप से उल्लिखित विस्तृत मूल्यांकन के अभाव में, मेरा विचार है कि बोर्ड किशोर का प्रारंभिक मूल्यांकन करने के अधिनियम 2015 की धारा 15 के तहत प्रावधान का पालन करने में अपने कर्तव्य में विफल रहा है। बाल न्यायालय ने भी केवल किशोर द्वारा किए गए अपराध और उसके तरीके पर विचार किया है और किशोर के प्रारंभिक मूल्यांकन के

लिए 2015 के अधिनियम की धारा 15 के तहत आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया है। बाल न्यायालय ने भी विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत केवल दो पंक्ति की अभिलेख पर विचार किया है।

20. उपरोक्त चर्चा के लिए मेरा मानना है कि 2015 के अधिनियम की धारा 15 के तहत बोर्ड का दिनांक 05.01.2023 का आदेश तथा दिनांक 02.03.2023 का विवादित अपीलीय आदेश टिकाऊ नहीं है, इसलिए इन्हें निरस्त किया जाता है। प्रकरण 2015 के अधिनियम की धारा 15 के अनुसार किशोर का प्रारंभिक मूल्यांकन फिर से करने तथा नया आदेश पारित करने के लिए बोर्ड को वापस भेजा जाता है। यह कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।

21. तदनुसार, पुनरीक्षण आंशिक रूप से स्वीकृत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(पार्थ प्रतिम साहू)

न्यायमूर्ति

बलराम

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों

हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur